उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी –विकास हेतु शासकीय संकल्प की रूप रेखा

उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या यू0ओ0–84/14/प0भू0–99–63/97,
वन अनुभाग–4, दिनांक 21 मई 1999 द्वारा जारी

1. प्रस्तावनाः

राज्य में वन्य जीव एवं जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से कई संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उप वन, वन्य जीव विहार और बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये गये हैं।

अब संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर एवं उसके समीपस्थ क्षेत्रों में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की नीति अपनायी जाये।

अधोलिखित संकल्प के अनुसार पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम लिये जायेंगे।

2. परिभाषायें :

इस संकल्प में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न अपेक्षित हो :

1. अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन आधिनियम 1927 से है।
2. ''वार्षिक क्रियान्वयन योजना'' का अर्थ अनुमोदित माइक्रोप्लान के आधार पर प्रति वर्ष क्रियान्वित होने वाले क्रियाकलापों से है।
3. ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति और पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति से है।
4. ''मुख्य वन जीव संरक्षक'' का अर्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति से है।
5. ''कार्यकारी समिति'' का तात्पर्य सात सदस्यीय समिति जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं, से है जो इस संकल्प के अधीन गठित ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रशासनिक और प्रबन्ध सम्बन्धी दायित्वों को निर्वहन करेगी।
6. ''वन रक्षक'' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई बीट के प्रभारी व्यक्ति से है।
7. ''वन अधिकारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य को क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया हो।
8. ''वन दरोगा'' का तात्पर्य उस श्रेणी के व्यक्ति से है जो सम्बद्ध अधिकारी से रूप में था जो वन रेंज के अन्तर्गत सेक्शन के पर्यवेक्षण कार्यों को करता है।
9. ''शासन'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
10. ''राज्यपाल'' का तात्पर्य राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से है।
11. ''ग्राम सभा'', ''ग्राम पंचायत'', ''प्रधान'', ''उप–प्रधान'' और ''ग्राम'' के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम 1947 में क्रमशः दिये गये हैं।
12. ''परिवार'' का अर्थ एक इकाई के रूप में घर में रह रहे अधिवासयों से है।
13. ''सदस्य ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति'' का तात्पर्य ग्राम में पारिस्थितिकी विकास में भागीदारी हेतु इच्छुक परिवारों द्वारा नामित व्यक्ति से है, जो ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में प्रतिनिधित्व करेगा।

14. ''माइक्रोप्लान'' का अर्थ ग्राम स्तर पर प्रबन्घन हेतु पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों की योजना से है।
15. ''संरक्षित क्षेत्र'' का अर्थ राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव संरक्षक द्वारा नामित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी वन अधिकारी से है।
16. ''परियोजना'' का अर्थ उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना से है।
17. ''परियोजना इकाई'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वानिकी परियेाजना की परियोजना इकाई से है।
18. ''नियम प्रारूप/प्रपत्र'' का अर्थ संकल्प के साथ संलग्न नियम प्रारूप/प्रपत्र से है।
19. ''रेंज अधिकारी'' का तात्पर्य कार्यकारी इकाई के प्रभारी अधिकारी से है।
20. ''प्रेरक दल'' का तात्पर्य समुचित तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों के उस दल से है, जो ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों को करने में सहायता प्रदान करेगा।
21. ''ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति'' का तात्पर्य ग्राम स्तरीय समिति जिसका गठन इस संकल्प में निहित प्राविधानों के अनुसार, सम्बन्धित ग्राम पारिस्थितिकी विकास के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु हुआ है।
22. ''वन्य जीव अधिनियम'' का तात्पर्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और इसके संशोधन तथा उत्तर प्रदेश में इसके प्रवृत्ति के संदर्भ में बने नियमों से है।
23. ''वर्ष'' का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
24. ''कार्यकारी इकाई'' का अर्थ उस क्षेत्रीय भाग से है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण हेतु घोषणा की गयी है।
25. ''वन रेंज'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से की गई हो या निहित प्राधिकारी द्वारा की गयी है।
26. ''स्वयं सेवी संस्था'' का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो सरकार के सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकृत हों।

3. उद्देश्य :

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य होंगे –

1. संरक्षित क्षेत्र के अन्दर तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की आजीविका में समुचित विकल्प उपलब्ध कराते हुए इस प्रकार हस्तक्षेप (मध्यस्थता) करना जिससे कि संरक्षित क्षेत्र के संसाधन सुरक्षित रह सकें।
2. जैव–विविधता संरक्षण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. वन्य जन्तुओं द्वारा मानव जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति को कम करना।
4. संरक्षित क्षेत्र एवं मानव के आपसी संघर्ष को कम करना।
5. संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता एवं दबाव को कम करना।
6. संरक्षित क्षेत्र के प्रबन्ध क्षमताओं में सुधार करना एवं संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा में वृद्धि करना।
7. पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों की, नियोजन एवं सतत् विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की क्षमताओं मे विकास करना।
8. संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप भूमि उपयोग पद्धतियां/प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना।

4. **क्षेत्र :**

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम पारिस्थितिकी विकास मंडलों में क्रियान्वित किया जायेगा जो संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किमी0 की दूरी तक विस्तृत हो सकता है तथा ऐसे क्षेत्र, लोगों पर संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों एवं वन्य जन्तुओं के प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन/विचार करने के उपरान्त चिन्हित किये जायेंगे।

1. पारिस्थितिकी विकास मंडल, संरक्षित क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा के साथ विस्तृत हो सकता है और नहीं भी।
2. प्रमुख/प्रबल जन्तु की पारिस्थितिकी सीमा को शामिल करने हेतु संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थित वन्य जन्तुओं की बहुतायत आरक्षित वन क्षेत्र में भी पारिस्थितिकी विकास मंडल का विस्तार हो सकता है।

5. **समितियॉ :**

5 (ए) संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति :

सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के वन संरक्षक निम्न प्रकार समिति बनायेंगे –

1. प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र – अध्यक्ष
2. प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा नामित एक वन अधिकारी – सदस्य सचिव
3. अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य
   (यदि संरक्षित क्षेत्र समूह एक से अधिक जिलों में फैले हों तो प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि)
4. समीपस्थ वन प्रभागों के उप वन संरक्षक – सदस्य
5. स्पियर हेड टीमों के प्रभारी सहायक वन संरक्षक – सदस्य
6. मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा नामित क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि – सदस्य

5 (बी) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति :

प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र इस समिति का गठन इस प्रकार करेंगे–

1. प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र परिस्थितिकी विकास में किये जाने वाले ग्राम या ग्रामों का चयन करेंगे ग्रामों एवं पुरवों की सूचना देंगे और ग्राम अथवा पुरवा के आधार पर समिति बनायी जायेगी।
2. प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित राजि अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी को उसके क्षेत्र में चयनित ग्रामों एवं पुरवों की सूचना देंगे और ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गठन हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे।
3. राजि अधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी ग्राम पारिस्थितिकी की विकास समिति के गठन हेतु ग्राम, पुरवों के सभी परिवारों को नियम तिथि, स्थान एवं समय पर संकलित होने हेतु सूचना देंगे। इसके लिए कम से कम दस दिन पूर्व अग्रिम सूचना देनी होगी।
4. यदि नियम तिथि, समय एवं स्थान पर आधे से कम परिवार एकत्रित होते हैं तब सभा किसी अगली तिथि हेतु स्थगित कर दी जायेगी।
5. उपरोक्तानुसार बुलायी गयी बैठक में राजि अधिकारी, ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में सम्मिलित होने के इच्छुक, समिति में भाग लेने हेतु प्रत्येक घर से एक से

ज्यादा सदस्य नामित नहीं होंगे। राजि अधिकारी इस बात का विशेष प्रयास करेंगे कि सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़े वर्ग एवं वन पर निर्भर गरीब परिवार का प्रतिनिधित्व ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में हों और वरीयता के अनुसार 30 प्रतिशत परिवार प्रतिनिधि महिला हों।

6. इच्छुक परिवारों के प्रतिनिधियों की सूची इस उद्देश्य से बनाये गये एक रजिस्टर में संधारित किया जायेगा और रजिस्टर में नयी प्रविष्टियां भी की जायेंगी, जब–जब नये परिवार सहभागिता हेतु अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। यह सूची ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन करेगी।
7. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति एक अध्यक्ष एवं कार्यकारी समिति हेतु चार सदस्यों का चुनाव करेगी, जिसमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दो महिला सदस्य हों। यदि अध्यक्ष या अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़े वर्ग की चुनी हुई प्रतिनिधि महिला हो तो ऐसी स्थिति में महिला के लिए आरक्षित सीट किसी पुरूष से भरी जा सकती है।
8. प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा एक वन दरोगा को ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी नामित किया जायेगा।
9. समिति हेतु चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जायेगा। परन्तु यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने हेतु दो तिहाई सदस्य संकल्प/प्रस्ताव पारित करते हैं तो ऐसी स्थिति में चुनाव तीन वर्ष से पूर्व भी हो सकते हैं।

(सी) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समितिः

ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में सात सदस्यीय एक कार्यकारी समिति होगी। ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का भी अध्यक्ष होगा। ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष पर चार सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। जिनमें से एक अनुसूचित जाति/ जनजाति का होगा तथा कम से कम एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग का होगा। प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रीय वन दरोगा को कार्यकारी समिति का एक्स आफिसियो सदस्य सचिव कम कोशाधिकारी के रूप में नामित करेगा। इस तरह कार्यकारी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी–

अध्यक्ष–पारिस्थितिकी विकास समिति का अध्यक्ष।

सदस्य–ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों में से चुना हुआ।

सदस्य–ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अन्य पिछड़े वर्ग सदस्यों में से चुना हुआ।

सदस्य–ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के महिला सदस्यों में से चुना हुआ।

सदस्य–ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के महिला सदस्यों में से चुना हुआ।

सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी–प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा नामित वन दरोगा।

सदस्य–प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधियों में से नामित।

ये अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार ग्राम/ पुरवा से न हों, तो ऐसी दशा में सामान्य परिवार के सदस्यों से सीट भरी जा सकती है।

चुनाव/नामित होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रबंधक संरक्षित क्षेत्र कार्यकारी समिति के गठन की अधिसूचना प्रकाशित करेगा।

ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति तथा कार्यकारी समिति के गठन के बाद प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र इन्हें समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत समिति के रूप में पंजीकरण हेतु कार्यवाही करेगा।

6. कार्य संचालन हेतु नियम :

6. (ए) संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समिति :

1. वित्तीय वर्ष के प्रत्येक चार माह में समिति की एक बैठक होगी।
2. अध्यक्ष की सहमति से सदस्य सचिव समिति की बैठक आयोजित करेगा।
3. बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष को शामिल करते हुये, एक तिहाई सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी।
4. सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त संधारित करेगा।
5. अशासकीय सदस्यों को श्रेणी एक के राजकीय सेवकों की भांति यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, इसके अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

6 (बी) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समितिः

1. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी, अध्यक्ष की सहमति से ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा की बैठक आयोजित करेगा।
2. आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी।
3. अध्यक्ष ग्राम, पारिस्थितिकी विकास समिति, बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति के मौजूद सदस्य (नामित सदस्यों के अलावा) अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव बैठक की अध्यक्षता हेतु करेंगे।
4. आम सभा का कोरम पूरा करने के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि यदि ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का सदस्य न हो तो वोट डालने का अधिकारी नहीं होगा।
6. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी बैठक का कार्यवृत्त संधारित करेगा।
7. सम्बन्धित राजि अधिकारी, ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा की बैठक का पर्यवेक्षक होगा।
8. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों का आवश्यक विवरण का एक रजिस्टर में संधारित करेगा। जैसे–नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि।
9. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी एक कार्यवृत्त पुस्तिका का रख रखाव करेंगे जिसमें वार्षिक आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त अभिलिखित किये जायेंगे। जो अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
10. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति अन्य सभी अभिलेखों का संधारण करेगी तथा सभी विवरण/सूचनायें जैसा प्राविधानित है, प्रस्तुत करेगी।

6 (सी) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समितिः

1. कार्यकारी समिति का चुनाव, ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा की बैठक आयोजित करना होगा।

2. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी, अध्यक्ष की सहमति से कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करेगा।
3. कार्यकारी समिति की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए तीन चुने हुये कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी।
4. कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी।
5. बराबर होने की दशा में ही समिति के अध्यक्ष वोट डालेंगे यद्यपि उनका वोट निर्णायक वोट होगा।
6. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अलावा यदि वह ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का सदस्य न हो।
7. कार्यकारी समिति में मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से होने वाले आकस्मिक रिक्तियों की भर्ती कार्यकारी समिति के सहयोजन के अनुसार की जा सकती है। एक सहयोजित सदस्य का कार्य अवधि रिक्त होने की तिथि के बाद अवशेष अवधि हेतु होगी। त्यागपत्र देने के लिए एक माह की अग्रिम सूचना देनी होगी।
8. सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी बैठक के कार्यवृत्त का संधारण करेगा।

7. समितियों के कार्य एवं दायित्वः

7—(ए) संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास समितिः

1. पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के लिए समर्थन हेतु आधार तैयार करना।
2. संरक्षित क्षेत्र स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच सामन्जस्य स्थापित करना जिससे कि सेवाओं के क्रियान्वयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
3. संरक्षित क्षेत्र प्राधिकारियों को संरक्षित क्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी विकास योजना निरूपण में सलाह उपलब्ध करना। यह विभिन्न विषयों पर सलाह देगा जैसे कि संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर भूमि उपयोग पद्धतियों, विकास एवं शहरीकरण, वन्य जन्तुओं के लिए गलियारा/मार्ग, संरक्षित क्षेत्र संसाधनों पर स्थानीय दबाव, पर्यटन, प्रदूषण का प्रभाव और वन्य जन्तुओं से मानव जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उपाय आदि।
4. ग्राम स्तरीय पारिस्थितिकी विकास का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
5. पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों के विस्तार हेतु अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायता करना।
6. विभिन्न स्वामित्व धारियों की योजनाओं एवं क्रियाकलापों में संरक्षित क्षेत्र के कार्यों को शोधित करना।
7. संरक्षित क्षेत्र के और अधिक संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय का निर्धारण करना।

7—(बी) पारिस्थितिकी विकास समिति :

1. अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक के बीच फार्म एक में निर्धारित प्रपत्र के अनुबन्ध करना।
2. कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करना।
3. माइक्रोप्लान के निरूपण एवं वार्षिक योजना क्रियान्वयन में सहायता करना।
4. आम सभा की बैठक में पारिस्थितिक विकास क्रिया—कलापों पर विस्तृत विचार विमर्श करना, लाभों के बंटवारे के बारे में विस्तृत विचार विमर्श करना आदि और प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले पारिस्थितिकी विकास हेतु माइक्रोप्लान को अंगीकृत करना। माइक्रोप्लान 5 वर्ष की अवधि का होगा।

5. अनुमोदित माइक्रोप्लान के आधार पर वार्षिक क्रियान्वयन योजना का निरूपण करना और इसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना।
6. सदस्यों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जमा धनराशि से बनी सामान्य निधि हेतु बैंक/पोस्ट आफिस में एक खाता खोला जायेगा। कार्यकारी समिति के लिखित संकल्प के अनुसार सामान्य निधि खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। इन लेखों से निकाली एवं जमा की गई धनराशि का लेखा जोखा ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की प्रत्येक वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों का गठन संयुक्त रूप से वन विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से वन के अन्दर तथा बाहर रह रहे वन एवं वन्य जन्तुओं की सुरक्षा में सहायता प्रदान करना।
8. वन कर्मचारियों को ऐसे व्यक्तियों की सूचना दे जो जानबूझ कर अथवा विद्वेषपूर्ण भावना से वन्य जन्तुओं को क्षति पहुंचा रहे हैं।
9. वन विभाग कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण, अनाधिकार चराई, आग, चोरी, अवैध शिकार, क्षति या वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन को रोकने में सहायता प्रदान करना।

7—(सी) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समितिः

1. प्राकृतिक संरक्षण, सतत् विकास, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, और जैव विविधता संरक्षण आदि के महत्व पर ग्रामीणों में जागरूकता/चेतना पैदा करना।
2. ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के प्रत्येक सदस्य को संरक्षित क्षेत्र संसाधनों की सुरक्षा साथ—साथ ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के अन्य दायित्वों को पूरा करने में सम्मिलित करना।
3. ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के कार्य क्षेत्र में वानिकी सम्बन्धी सभी कार्यों को सुचारू रूप से एक समय से क्रियान्वयन में वन—विभाग कर्मियों को सहायता प्रदान करना।
4. वन कर्मियों एवं ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति को वानिकी कार्यों हेतु श्रमिकों को लगाने एवं चुनाव में सहायता प्रदान करना।
5. ग्राम का पारिस्थितिक विकास माइक्रोप्लान एवं वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनाने में सहायता प्रदान करना और निर्धारित समय अवधि के अन्दर ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति की आम बैठक में अंगीकृत योजना को प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।
6. प्रति वर्ष निर्धारित समय सीमा में समितियॉ पंजीकरण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत निबंधक समिति को सदस्यों के नाम, पता व व्यवसाय की सूची प्रस्तुत करना।
7. पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जिससे कि ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।
8. यह सुनिश्चित करना कि शासन द्वारा अनुमन्य पारिस्थितिक विकास निधि एवं उत्पाद, लाभा, लाभार्थियों को बिना किसी गतिरोध के प्राप्त होता रहे।
9. निर्धारित तरीके से क्रियाकलापों एवं लेखा अभिलेखों का संधारण करना एवं प्राधिकृत व्यक्ति को उसे उपलब्ध कराना।

10. ऐसे सदस्य के बारे में सम्बन्धित राजि अधिकारी/वन दरोगा/वन रक्षक को सूचित करना जिसकी गतिविधियां अवैधानिक एवं/या वन/वन्य जन्तुओं के लिए हानिकारक हों, ऐसे सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है।
11. ऐसे गतिविधियों को नियन्त्रित करना जो अधिनियम, समय–समय पर संशोधित वन्य जन्तु अधिनियम, के प्रावधानों के प्रतिकूल हो।
12. संरक्षित क्षेत्र अधिकारियों को अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपराधियों, ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के पथभ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही में मदद करना।

8. प्रेरक दल :

मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र हेतु पारिस्थितिक विकास प्रेरक दल का गठन किया जायेगा। यह प्रेरक दल ग्रामीणों को ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गठन तथा पारिस्थितिकी विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करेगा।

प्रेरक दल के नेता सहायक वन संरक्षक होंगे तथा प्रेरक दल में राजि अधिकारी/उप वन रेंजर, दो स्थानीय स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि एवं स्थानीय वन रक्षक होंगे।

9. पारिस्थितिक विकास क्रियाकलाप :

1. कार्यकारी समिति प्रेरक दल की सहायता से ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के सदस्यों को शामिल करते हुये सहभागिता के अनुसार एक माइक्रोप्लान बनायेगा।
2. सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत स्थान विशेष एवं आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे।
3. प्रत्येक चयनित पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम, जैव–विविधता संरक्षण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ा होगा जिसका उल्लेख तद्नुसार माइक्रोप्लान में होगा।
4. ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति की आम बैठक में माइक्रोप्लान अंगीकृत किया जायेगा तत्पश्चात् अनुमोदनार्थ प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. माइक्रोप्लान का परीक्षण पारिस्थितिक विकास सम्बन्धित निर्धारित नीति निर्देशों मानकों के अनुसार किया जायेगा व प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
6. कार्यकारी समिति अनुमोदित माइक्रोप्लान के अनुसार प्रतिवर्ष वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनायेगी और सितम्बर के प्रथम दिवस से पूर्व प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र को प्रस्तुत करेगी।

10. धनराशि :

इस संकल्प के अधीन पारिस्थितिक विकास क्रियाकलापों हेतु ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति धनराशि की व्यवस्था करेगी। जहॉ तक सम्भव हो सके धनराशि की व्यवस्था शासकीय एवं अशासकीय स्रोतों से की जायेगी जिसमें ग्राम समुदाय तथा व्यक्तिगत योगदान भी शामिल होंगे।

शासन द्वारा पारिस्थितिक विकास हेतु धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में यह प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र द्वारा किस्तों में समय–समय पर लागू सुसंगत शासकीय आदेशों के अनुसार जारी की जायेगी।

11. लेखा का संधारण :

1. मद सं0 10 में वर्णित धनराशि तथा अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में जमा की

जायेगी। उक्त खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव कम कोषाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप में संचालित होगा।

2. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद ही खाते से धनराशि आहरित की जायेगी और व्यय विवरण ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. धनराशि का लेखा–जोखा एवं व्यय प्रक्रिया समय–समय पर जारी शासकीय आदेशों के अनुसार होगा।

12. लेखा एवं लेखा परीक्षा :

ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति उचित एवं अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और सरकार के निर्देशों के अनुसार लेखा का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

13. लाभ की हिस्सेदारी :

1. माइक्रोप्लान के अन्तर्गत संचालित सभी क्रियाकलापों की लागत का एक चौथाई हिस्सा ग्राम समुदाय द्वारा वहन किया जायेगा। समुदाय द्वारा सहयोग–सामग्री (भूमि आदि), श्रम या कुछ अवधि शेष के लिए अपने अधिकारों का स्थान आदि रूप में हो सकता है।
2. व्यक्तिगत लाभार्थियों को ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति द्वारा अग्रिम या ऋण दिया जा सकता है। भुगतान की शर्ते प्रत्येक ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा लागत का कम से कम 25 प्रतिशत व्यय स्वयं वहन किया जायेगा। व्यक्तिगत लाभार्थी को किसी भी दशा में ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के कुल पूंजीनिवेश का 5 प्रतिशत से अधिक की धनराशि नहीं दी जायेगी।
4. किसी भी व्यक्ति को दूसरा अग्रिम/ऋण तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके द्वारा पूर्व अग्रिम/ऋण को पूरा जमा न कर दिया गया हो तथा सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया गया हो।
5. ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति लेखों में पुनः जमा की गई धनराशि के आवर्ती धन व्यवस्था स्थापित होगी जिससे कि समुदाय के लोगों को पुनः वित्तीय सहायता दी जा सके और दीर्घकालीन वित्तीय निरन्तरता के कार्यक्रम सुनिश्चित किये जा सके।
6. संरक्षित क्षेत्र से प्राप्त केवल उन्हीं उत्पादों का वितरण किया जायेगा जिनको समय–समय पर अनुमन्य किया गया हो तथा वितरण ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति की आम सहमति के आधार पर किया जायेगा और इसका समावेश अनुमोदित माइक्रोप्लान में किया जायेगा।

14. सदस्यता की समाप्ति एवं/या ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति को भंग करना:

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में टकराव की स्थिति में पारिस्थितिक विकास अधिकारी, प्रबन्धक संरक्षित क्षेत्र टकराव को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे।
2. अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने किसी भी नियम, शर्तों एवं प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में प्रबंधक संरक्षित क्षेत्र की संस्तुति समाप्त की जा

सकती है। और/या धारा 13, 13–अ, 13–ब के अधीन क्रमशः कार्यकारी समिति, भंग की जा सकती है।

15. विविध विषय :

1. सम्बन्धित ग्राम पंचायत ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति को सुचारू कार्य संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।
2. फार्म–2 एवं फार्म–3 में क्रमशः मेमोरेन्डम ऑव एसोसियेशन एवं ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति के नियम संलग्न हैं।

आज्ञा से
प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन